"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017—— आषाढ़ 13, शक 1939

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्रमांक 02/चार/उपराष्ट्रपति चुनाव/2017/717.—— उपराष्ट्रपति निर्वाचन-2017 के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना दिनांक 04 जुलाई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(डी. डी. सिंह)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की

लोक सूचना

भारत के राष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अत: ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं शमशेर के. शरीफ सूचना देता हूं कि ....

(i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो तो सहायक रिटर्रिंग आफिसर श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव या श्री रोहतास, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 18 जुलाई, 2017 तक (लोक अवकाश-दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा. यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्रिंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वाक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उपरोक्त कार्यालय में कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में बुधवार, 19 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में 21 जुलाई, 2017 को तीन बजे अपराह्न से पहले परिदत्त की जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में, शनिवार, 5 अगस्त, 2017 को पूर्वाह्न 10 बजे और अपराह्न 5 बजे के बीच होगा.

नई दिल्ली,
दिनांक 4 जुलाई, 2017

हस्ता./-
(शमशेर के. शरीफ)
उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए
रिटर्निंग आफिसर
और
महासचिव, राज्य सभा.

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER FOR VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2017

PUBLIC NOTICE

OF

ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA

WHEREAS a notification under sub-section (1) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 for the holding of an election to fill the Office of Vice-President of India has been issued by the Election Commission I, Shumsher K. Sheriff, Returning Officer for such election, do hereby give notice that...

(i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No. 29, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officers, Shri Mukul Pande, Additional Secretary or Shri Rohtas, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat at the said office between 11 A. M. and 3 P. M. on any day (other than a publice holiday) not later than the 18th of July, 2017;

(ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;

(iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees fifiteen thou sand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury, and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;

(iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid;

(v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of Section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No. 29, Ground Floor, Parliament House, New Delhi on Wednesday, the 19th July, 2017 at 11 A. M.;

(vi) the notice of withdrawal of cadidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o' clock in the afternoon of the 21st of July, 2017;

(vii) In the event of the election being contested , the poll will be taken on Saturday, the 5th of August, 2017, between the hours of 10 A. M. and 5 P. M. at the place of polling fixed under the rules.

New Delhi,
Dated the 4th of July, 2017

Sd/-
(Shumsher K. Sheriff)
Returning officer for the
Vice-Presidential Election, 2017
And
Secretary-General Rajya Sabha.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.